भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5765

उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों का कल्याण

†5765. श्री केसिनेनी शिवनाथ:
श्री बस्तीपति नागराजू:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा योजना और इसके प्रत्येक उप-घटक के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों (एससी) के छात्रों के कल्याण के लिए आवंटित की गई, संवितरित की गई और उपयोग की गई निधि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना और इसके प्रत्येक घटक के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों की संख्या सहित लाभार्थियों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएम श्री योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों के कल्याण के लिए आवंटित की गई, संवितरित की गई और उपयोग की गई निधि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और
(घ) पीएम श्री योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों की संख्या सहित लाभार्थियों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए समग्र शिक्षा योजना को वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित कर रहा है। वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी-अपनी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। इन योजनाओं का मूल्यांकन / अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। अनुमोदित एडब्ल्यूपी एंड बी के आधार पर, समग्र शिक्षा के तहत केंद्रीय हिस्सेदारी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को एकमुश्त जारी की जाती है।

समग्र शिक्षा योजना न्याय संगतता और पहुंच के स्तंभों पर कार्यान्वित की जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के अनुसार, एससी पर न्यूनतम 20% व्यय होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में एससी छात्रों का प्रतिशत 22.99% (2021-22), 22.88% (2022-23), 22.96% (2023-24), 22.84% (2024-25) होने के कारण, एससी छात्रों पर व्यय समान अनुपात में है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एससी छात्रों सहित समग्र शिक्षा योजना के तहत अनुमोदित और जारी की गई निधियों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है।

(ख): समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो पूर्व-स्कूल से कक्षा 8 तक के लिए है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य से संबंधित बच्चों तक भी सुलभ है। इसके अलावा, एनईपी 2020 'समान और समावेशी शिक्षा' पर ध्यान केंद्रित करती है जो इस विचार को प्रतिध्वनित करता है कि किसी भी छात्र को उनकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसर के मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

यूडाइज़ के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन और अनुसूचित जाति (एससी) नामांकन का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में है।

(ग): केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री की 07 सितंबर, 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया था । अनुमोदन के बाद, वित्त वर्ष 2023-24 में निधि आवंटन और जारी शुरू हुई। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक एससी छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए पीएम श्री योजना के तहत अनुमोदित और जारी की गई निधियों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में है।

(घ): वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पीएम श्री स्कूलों में नामांकित कुल छात्रों और एससी छात्रों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में है।

अनुलग्नक-I

समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों का कल्याण के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री केसिनेनी शिवनाथ, श्री बस्तीपति नागराजू, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा दिनांक 30/03/2026 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5765 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26*	
		अनुमोदित की गई निधियाँ	जारी की गई निधियाँ	अनुमोदित की गई निधियाँ	जारी की गई निधियाँ	अनुमोदित की गई निधियाँ	जारी की गई निधियाँ	अनुमोदित की गई निधियाँ	जारी की गई निधियाँ	अनुमोदित की गई निधियाँ	जारी की गई निधियाँ
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	56.37	31.52	74.02	56.51	95.33	55.28	84.84	60.52	89.39	30.68
2	आंध्र प्रदेश	1348.54	683.01	1712.59	1503.59	1796.58	1289.41	1732.93	1240.11	1407.72	698.72
3	अरुणाचल प्रदेश	442.16	279.96	533.7	252.29	596.01	475.03	644.47	575.85	783.23	311.04
4	असम	1977.03	1561.56	2514.6	2080.86	2604.07	1810.47	2883.47	2026.77	3688.07	1920.11
5	बिहार	3827.55	3406.08	5018.87	3554.59	5021.33	4241.73	4991.23	4217.81	5896.57	2564.9
6	चंडीगढ़	100.24	108.04	124.23	109.79	132.14	116.36	137.21	118.58	148.1	84.27
7	छत्तीसगढ	887.9	332.37	1138.33	828	1200.45	776.59	1267.79	830.66	1184.82	419.44
8	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	67.41	20.92	87.94	64.67	95.37	41.3	98.03	54.63	109.73	39.66
9	दिल्ली	315.21	145.88	377.27	221.94	377.84	146.09	566.33	385.39	552.45	243.61
10	गोवा	18.61	11.02	29.86	29.86	30.78	18.75	24.27	16.34	27.71	20.39
11	गुजरात	1009.74	893.76	1371.21	1321.25	1334.74	1132.53	1601.74	1245.54	1435.2	909.3
12	हरियाणा	825.39	517.09	963.5	670.21	1015.03	578.8	1076.33	536.44	846.04	282.31
13	हिमाचल प्रदेश	581.66	319.1	738.08	551.6	686.85	485.97	764.95	526.2	710.74	312.9
14	जम्मू एवं कश्मीर	1320.22	873.99	1650.6	364.97	1736.5	865.44	1721.6	823.49	1435.99	297.67
15	झारखंड	900.18	858.97	1167.68	1154.52	1252.19	1104.93	1173.86	1074.44	1156.9	281.1
16	कर्नाटक	707.61	474.52	1004.94	861.52	954.43	828.09	936.55	868.3	1103.33	518.72
17	केरल	252.22	225.13	348.47	178.16	343.34	141.66	428.89	0	452.05	92.41
18	लद्दाख	100	57.18	123.49	14.89	191.59	52.23	200.99	140	226.31	79.31
19	लक्षद्वीप	5.73	2.16	7.87	4.33	5.75	1	7.42	3.06	8.81	3.11
20	मध्य प्रदेश	2946.31	2292.8	3727.88	1939.29	3893.33	2981.51	4122.09	3434.71	3750.85	1460.76
21	महाराष्ट्र	1013.7	693.03	1592.9	900	1348.01	1001.19	1438.59	1126.25	1431.83	538.61
22	मणिपुर	370.43	182.5	494.19	404.76	496.78	257.22	532.01	465.59	596.2	218.14
23	मेघालय	305.84	271.71	375.15	375.15	404.96	394.18	398.83	362.83	406.59	144.74
24	मिजोरम	225.6	179.68	323.08	142.68	360.87	274.14	297.99	216.52	332.24	86.51
25	नागालैंड	218.09	137.34	281.05	281.04	333.63	231.25	284.39	211.41	360.2	179.87
26	ओडिशा	1453.34	1238.07	1841.08	1836.67	1963.77	1236.61	1934.8	1672.39	2139.56	1253.03
27	पुदुचेरी	15.14	13.98	19.87	15.28	22.56	12.47	19.74	12.46	21.26	4.37
28	पंजाब	543.53	501.27	719.06	605.05	718.66	331.12	708.78	678.13	861.12	561.87
29	राजस्थान	2730.2	2405.82	3452.2	2138.61	3592.34	3202.89	3865.53	3090.65	3345.68	916.44
30	सिक्किम	122.49	100.12	151.76	107.19	168.92	132.61	156.61	122.74	166.42	43.03
31	तमिलनाडु	1649.96	1598.82	2117.6	2107.23	2127.65	1876.16	2153.15	0	1847.22	450.6
32	तेलंगाना	880.61	553.28	1143.86	1142.51	1165.57	920.13	1162.72	988.79	1088.27	743.92
33	त्रिपुरा	318.2	226.93	387.41	286.73	440.75	341.33	451.8	420.03	507.42	242.83
34	उत्तर प्रदेश	5123.11	2044.97	6261.8	3819.75	6644.29	4276.45	6976.21	6264.79	5892.43	2036.4
35	उत्तराखंड	672.63	320.84	844.44	704.39	727.68	440.57	883.71	646.78	735.38	230.21
36	पश्चिम बंगाल	1338.77	1309.74	1773.38	1522.04	1767.48	311.29	1745.8	0	1998.39	0
	कुल	**34671.73**	**24873.18**	**44493.94**	**32151.94**	**45647.55**	**32382.79**	**47475.67**	**34458.21**	**46744.23**	**18220.96**

स्रोत : पीएबी कार्यवृत्त/पीएफएमएस/प्रबंध पोर्टल

**दिनांक 30.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार*

अनुलग्नक-II

समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों का कल्याण के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री केसिनेनी शिवनाथ, श्री बस्तीपति नागराजू, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा दिनांक 30/03/2026 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5765 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन और अनुसूचित जाति (एससी) नामांकन का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		कुल	अनुसूचित जाति	**कुल**	अनुसूचित जाति	**कुल**	अनुसूचित जाति	**कुल**	अनुसूचित जाति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	51168	208	52059	378	48792	346	47459	376
2	आंध्र प्रदेश	4696207	1166873	4256013	1105146	4050116	1079019	3643083	993320
3	अरुणाचल प्रदेश	233908	4816	205522	4710	187634	3830	170112	3402
4	असम	5277671	478087	5151710	397876	5017578	403048	4841809	403286
5	बिहार	21989445	4773674	20359013	4281439	17466574	3722174	17159036	3551560
6	चंडीगढ़	`165156	19018	164241	18241	155752	16023	148600	14491
7	छत्तीसगढ	4262053	649005	4082523	607705	3947170	580858	3817949	561326
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	91026	1975	93770	1970	93333	1767	95700	1909
9	दिल्ली	2796676	364872	2776216	336416	2571404	299767	2469393	281710
10	गोवा	42932	1357	42653	1314	41722	1349	41217	1419
11	गुजरात	5570875	358970	5511272	349616	5459151	339370	5368061	328292
12	हरियाणा	2602484	966830	2464486	909282	2230123	823549	2200067	807811
13	हिमाचल प्रदेश	900749	297327	872058	287781	831845	274383	802146	265134
14	जम्मू एवं कश्मीर	1473368	133934	1454668	131054	1421643	128244	1393820	126026
15	झारखंड	5242868	850211	4943098	770139	4843847	748665	4870352	745237
16	कर्नाटक	5445989	1340586	5327221	1327103	4985661	1250822	4734360	1190121
17	केरल	1862020	227807	1854934	225942	1801570	222674	1717915	213436
18	लद्दाख	29312	65	28667	95	26275	94	26542	83
19	लक्षद्वीप	13586	11	12587	91	12591	62	12325	60
20	मध्य प्रदेश	9429734	1815288	9095629	1754764	8671760	1668377	8128161	1558517
21	महाराष्ट्र	5853094	838937	5481157	772166	5325571	752751	5108544	719346
22	मणिपुर	216636	9523	212608	10967	203508	9960	208052	9807
23	मेघालय	477232	4981	438863	9419	420993	6863	413681	5388
24	मिजोरम	143345	821	135515	1815	129068	966	117866	803
25	नागालैंड	170219	3382	156175	3033	141852	2902	137373	2760
26	ओडिशा	5255198	1082935	5267551	1087571	5209594	1076731	5046239	1048311
27	पुदुचेरी	97368	25514	91295	23963	83737	22395	76995	20624
28	पंजाब	3090436	1810930	2902536	1713401	2823581	1665186	2669459	1571530
29	राजस्थान	9912280	2408859	9250493	2273396	8381575	2093153	7782390	1976493
30	सिक्किम	84411	7293	79597	8069	71839	6983	67063	6309
31	तमिलनाडु	5314845	1602379	5042026	1541224	4840034	1490691	4510632	1410955
32	तेलंगाना	3303699	773100	3009212	723852	2779713	681998	2629488	652066
33	त्रिपुरा	542892	115452	524284	108878	508036	105528	488370	101565
34	उत्तर प्रदेश	19056651	6153924	18018332	5780797	15868581	5202090	14892455	4941346
35	उत्तराखंड	980808	309482	942657	296672	870147	274798	794170	251595
36	पश्चिम बंगाल	16564139	4344386	15904276	4307102	15967829	4324520	14959027	4008814
	भारत	**143240480**	**32942812**	**136204917**	**31173387**	**127490199**	**29281936**	**121589911**	**27775228**

स्त्रोत : यूडाइज़ +

अनुलग्नक-III

समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों का कल्याण के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री केसिनेनी शिवनाथ, श्री बस्तीपति नागराजू, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा दिनांक 30/03/2026 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5765 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक एससी छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए पीएम श्री योजना के तहत स्वीकृत और जारी की गई निधियों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

		वित्त वर्ष : 2023-24		**वित्त वर्ष : 2024-25**		**वित्त वर्ष : 2025-26**	
क्र. सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र / केवीएस /एनवीएस**	**अनुमोदित केन्द्रीय अंश**	**जारी किया गया केन्द्रीय अंश (अनुसूचित जाति के लाभार्थियों सहित)**	**अनुमोदित केन्द्रीय अंश**	**जारी किया गया केन्द्रीय अंश (अनुसूचित जाति के लाभार्थियों सहित)**	**अनुमोदित केन्द्रीय अंश**	**जारी किया गया केन्द्रीय अंश (अनुसूचित जाति के लाभार्थियों सहित)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.25	1.56	7.64	2.83	10.64	3.87
2	आंध्र प्रदेश	212.91	106.46	469.43	294.12	386.1	44.39
3	अरुणाचल प्रदेश	16.85	4.21	50.33	33.87	47.29	12.45
4	असम	114.71	57.36	297.92	142.36	195.86	74.9
5	चंडीगढ़	0.73	0.63	1.8	1.25	1.65	1.09
6	छत्तीसगढ	39.47	19.74	120.85	37.35	118.07	16.27
7	डीएनएच एवं डीडी	2.59	0.65	2.56	1.01	3.65	3.65
8	गोवा	3.71	3.25	9.49	4.64	9.97	0.5
9	गुजरात	65.87	32.94	109.74	63.58	125.81	49.72
10	हरियाणा	51.16	25.58	135.3	56.1	115.04	14.9
11	हिमाचल प्रदेश	एनए	एनए	135.35	135.35	145.62	33.24
12	जम्मू एवं कश्मीर	104.79	52.4	252.68	99.72	249.36	14.32
13	झारखंड	एनए	एनए	155.23	38.81	228.87	28.42
14	कर्नाटक	30.17	26.39	150.86	62.78	226.15	37.18
15	लद्दाख	8.08	4.04	26.66	11.91	21.22	21.22
16	लक्षद्वीप	4.36	1.09	6.77	0.72	7.35	7.35
17	मध्य प्रदेश	131.99	44.53	261.84	145.33	368.01	61.47
18	महाराष्ट्र	126.81	63.4	339.37	226.15	230.77	53.17
19	मणिपुर	35.27	17.64	82.89	37.83	65.94	19.6
20	मेघालय	8.59	4.3	30.57	20.08	31.68	2.08
21	मिजोरम	8.2	4.1	12	4.96	11.68	2.79
22	नगालैंड	3.9	0.98	22.33	5.44	30.4	11.09
23	ओडिशा	एनए	एनए	261.02	130.51	511.19	77.17
24	पुदुचेरी	2.35	2.06	6.52	3	5.66	0.31
25	पंजाब	एनए	एनए	125.68	94.26	207.82	121.33
26	राजस्थान	98.36	24.59	270.5	118.69	261.57	65.01
27	सिक्किम	20.35	10.18	31.06	15.11	26.73	15.98
28	तेलंगाना	239.21	59.8	388.67	342.09	253.52	69.64
29	त्रिपुरा	23.61	11.8	51.67	38.45	38.73	7.16
30	उत्तर प्रदेश	242.99	121.5	402.68	246.86	377.63	116.83
31	उत्तराखंड	65.62	57.42	117.09	58.6	134.16	27.88
	कुल	**1668.9**	**758.6**	**4336.5**	**2473.76**	**4448.14**	**1014.98**

***नोट :** एनए - राज्यों ने उक्त वर्ष में पीएम श्री योजना को आरंभ नहीं किया था.

अनुलग्नक-IV

समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों का कल्याण के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री केसिनेनी शिवनाथ, श्री बस्तीपति नागराजू, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा दिनांक 30/03/2026 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5765 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पीएम श्री स्कूलों में नामांकित कुल छात्रों और एससी छात्रों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

		2023-24		2024-25	
क्र. सं.	राज्य	कुल नामांकन	अनुसूचित जाति नामांकन	कुल नामांकन	अनुसूचित जाति नामांकन
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5827	11	9319	20
2	आंध्र प्रदेश	479817	137335	491452	152133
3	अरुणाचल प्रदेश	21603	323	20514	299
4	असम	231041	21452	233510	22694
5	बिहार	0	0	707205	114041
6	चंडीगढ़	4603	557	4864	520
7	छत्तीसगढ	156856	21277	157941	21850
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3618	135	4390	160
9	गोवा	5088	62	5116	99
10	गुजरात	185820	11851	205990	13447
11	हरियाणा	155403	59526	156516	60093
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	67014	20614
13	जम्मू और कश्मीर	86876	9448	90606	9631
14	झारखंड	0	0	223346	34038
15	कर्नाटक	206951	46214	207377	46087
16	केन्द्रीय विद्यालयों	1130512	229905	1122595	229026
17	लद्दाख	2682	6	3242	7
18	लक्षद्वीप	5168	38	5996	34
19	मध्य प्रदेश	454629	96526	440274	93452
20	महाराष्ट्र	288344	43195	305210	45556
21	मणिपुर	29144	2106	38597	3237
22	मेघालय	13457	168	16115	174
23	मिजोरम	3775	35	4464	32
24	नागालैंड	12628	275	13959	314
25	एनवीएस	271382	53571	286256	67057
26	एनसीईआरटी	0	0	3432	641
27	ओडिशा	0	0	387544	76719
28	पुदुचेरी	7523	1500	6859	1337
29	पंजाब	0	0	218434	121723
30	राजस्थान	313243	82232	295131	79126
31	सिक्किम	17661	1650	19019	1748
32	तेलंगाना	324295	89231	313221	87842
33	त्रिपुरा	36498	8325	37826	8828
34	उत्तर प्रदेश	647394	192743	631879	190085
35	उत्तराखंड	78676	23430	83783	24879
	कुल योग	**5180514**	**1133127**	**6818996**	**1527543**
